मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर 'उड़ान' योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों के लिए मेरठ से घरेलू हवाई उड़ान शुरू की जाए।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Revenue sharing of advertising between tech giants and news publishers

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ जो परंपरागत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, वे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... उनको समाचार संकलन करने, उसकी सच्चाई का पता लगाने, कन्टेंट क्रिएट करने के लिए पत्रकार, रिपोर्टर्स, एंकर्स, कैमरामैन, न्यूज़ रूम, ऑफिसेज़ पर अरबों-खरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ...(**व्यवधान**)... इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है, परंतु हाल के वर्षों में टैक जायन्ट्स जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब के उदय के बाद विज्ञापन का बड़ा हिस्सा टैक जायन्ट्स के पास चला जा रहा है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया, ये जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वे न्यूज़ कन्टेंट को दिखाते हैं और उससे विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। ...(**व्यवधान**)... इन बिग टैक को न्यूज़ कन्टेंट तैयार करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, परंतु तैयार कन्टेंट को वे मुफ्त में दिखाते हैं। विज्ञापन से गूगल इंडिया की इनकम 2021-22 में 24,927 करोड़ रुपए तथा फेसबुक की 16,189 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75 परसेंट ज्यादा है। ...(**व्यवधान**)... आवश्यकता है कि इन बिग

टैक को बाध्य किया जाए कि विज्ञापन के रेवेन्यू को ओरिजनल न्यूज़ कन्टेंट बनाने वालों से शेयर करें।

सभापति महोदय, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड बनाकर एडवर्टिज़मेंट रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया। ...(**व्यवधान**)... ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ईयू ने कानून बनाया है। न्यूज़ीलैंड भी कानून बनाने की पहल कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो भारत सरकार लाने जा रही है, उसमें इसका प्रावधान करें और कॉम्पिटिशन कमीशन इसमें हस्तक्षेप करें। ...(**व्यवधान**)... मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, फांस, ईयू, कनाडा के समान कानून बनाएं, ताकि गूगल और फेसबुक को एडवर्टिज़मेंट की आय के रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया जा सके और भारत के प्रिंट और न्यूज़ टीवी चैनल को आर्थिक संकट से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, आत्मनिर्भर भारत नीड्स आत्मनिर्भर न्यूज़ इंडस्ट्री। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूज़ बार्गेनिंग कोड आया ...(**समय की घंटी**)... तो फेसबुक और गूगल ने उनको धमकी दी कि हम ब्लैकआउट कर देंगे। उनको महीनों तक ब्लैकआउट करने की धमकी दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके कारण झुका नहीं और उसने न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड कानून बनाया। ...(**व्यवधान**)... आज ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को अरबों रुपए की आय रेवेन्यू शेयरिंग के द्वारा हो रही है।

SHRI DEEPAK PRAKASH (Jharkhand): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MS. INDU BALA GOSWAMI (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Illegal possession of uncultivated land in Jharkhand

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। झारखंड राज्य नदी, नाला, पहाड़ और पर्वत वाला राज्य है। ...(**व्यवधान**)... पिछले तीन वर्षों से झारखंड राज्य में जमीन का नेचर बदलकर खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है। लगभग 3,62,867 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाबंदी किया गया है। ...(**व्यवधान**)... इस प्रकार के करीब 1,75,000 मामले राज्य में लंबित हैं। ...(**व्यवधान**)... पूरे राज्य में इस प्रकार की जमीन का घोटाला चल रहा है। मैं जिले की बात करूं, तो बोकारो जिले में अकेले 96,150 एकड़ जमीन की जमाबंदी 50,622 लोगों के बीच में की गई है। ...(**व्यवधान**)... वहां पर जमीन की लूट मची हुई है, वहां पर गैर-मजरूआ जमीन की लूट मचाई जा रही है। ...(**व्यवधान**)... जो भी सरकारी योजनाएं झारखंड में जाती हैं, मुझे लगता है कि उस राज्य में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, तत्कालीन 1980 से 1982 की सरकार ने वहां पर रांची जिला के मुट्टा गांव में भूमिहीन परिवारों को एक सौ एकड़ जमीन आवंटित करने का काम किया था, लेकिन राज्य की सरकार के संरक्षण में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर कई लोग जमीन का अवैध कारोबार करते हैं। ...(**व्यवधान**)... वैसे वहां पर जो भूमिहीन जमीन पर खेतीबाड़ी करते हैं,